लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1900
12 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा योजनाओं हेतु निधि आवंटन

1900. श्री टी. आर. वी. एस. रमेश:
श्री कुरूवा गोरांतला माधव:
श्रीमती चिंता अनुराधा:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी), व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस), हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) और धागा आपूर्ति योजना (वाईएसएस) के तहत राज्य-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्वीकृत निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं का राज्य-वार और यौजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के परिणामस्वरूपत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किए गए निवेश/सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): निधियों का बजटीय आवंटन राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार नहीं किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत अनुशंसित व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति पर निधि सीधे पात्र हथकरघा एजेंसियों / बुनकरों को जारी की जाती है और उसके बाद पूर्व में जारी की गई निधियों का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर निधियों की किस्तें जारी की जाती हैं। हालाँकि, पिछले दो वर्षों में पूरे देश के लिए हथकरघा एजेंसियों / बुनकरों को जारी योजना-वार निधियां निम्नानुसार है: -

पिछले दो वर्षों में जारी योजना-वार निधियां (2018-19 & 2019-20)				
क्र.सं.	**योजना का नाम**	**2018-19 (रू. करोड़ में)**	**2019-20 (रू. करोड़ में)**	**कुल (2018-19 से 2019-20) (रू. करोड़ में)**
1.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)	118.72	141.87	260.59
2.	व्यापक हथकरघा क्लस्टर	16.38	16.22	32.60

	विकास योजना (सीएचसीडीएस)			
3.	हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)	2.06	8.04	10.10
4.	यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)	126.84	142.21	269.05
	कुल	**264.00**	**308.34**	**572.34**

(ग): सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों सहित पूरे देश में हथकरघा क्षेत्र के विकास और संवर्धन तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु विभिन्न हथकरघा योजनाओं (केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं) के कार्यान्वयन के लिए पात्र हथकरघा एजेंसियों / बुनकरों दी जाने वाली निधियों के माध्यम से अनुदान सहायता के रूप में निवेश किया जाता है। पिछले दो वर्षों में विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों का विवरण ऊपर दिए गए भाग (क) और (ख) के उत्तर में इंगित किया गया है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के एक घटक, हथकरघा समवर्धन सहायता (एचएसएस) जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सुविधा के माध्यम से इस क्षेत्र में रोजगार सृजन होता है, जहां एनएचडीपी के एक घटक के रूप में बुनकरों को करघें और सहयक सामान तथा रियायती दर पर मुद्रा ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, हथकरघा कामगारों को उनके कौशल के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पिछले छह वर्षों और चालू वर्ष (2014-15 से 2020-21 तक, तिथि 31-01-2021 तक) के दौरान, 56,614 हथकरघा कामगारों को उनके कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, 52,621 लाभार्थियों को हथकरघा समवर्धन सहायता योजना (एचएसएस) के तहत करघें / सहायक सामान प्रदान किए गए हैं तथा बुनकर मुद्रा योजना के तहत हथकरघा बुनकरों के लिए 2,63,565 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

***